प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषयः—1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमैंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 06.06.2020

भवदीय

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सलग्नक—उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि—श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

covid 19 st

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

प्रेष्य,

जिला न्यायाधीश
मेरठ।

संख्या– 1165 /एसटी–नगर/कोविड–19, दिनांक– 06 जून, 2020

Sub. Regarding Machanism/modalities for opening of Courts subordinate to High Court of judicature at Allahabad.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1221/प्रथम, दिनांकित 06.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382/2020/सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01–06–2020 से दिनांक 30–06–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के आदेश संख्या–1556/ओ0एस0डी0–कैम्प/2020, दिनांक 05.06.2020 के अन्तर्गत 'Containment Zone' एंव 'Buffar Zone' की सूची जारी की गयी है, जिसके कमांक–35 पर कोर्ट कम्पाउण्ड को 'Containment Zone' में उल्लिखित किया गया है, जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन), मेरठ के पत्र संख्या–1700/पेशकार–2020, दिनांकित 06.06.2020 में स्पष्ट किया गया है कि वेस्टर्न कचहरी रोड बेगम बाग स्थित असोडा हाउस हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इसके सन्निकट स्थित कोर्ट परिसर इस हॉट स्पॉट के 'Containment Zone' की सीमा के अन्तर्गत आता है। उक्त पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
06-06-20
(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–

जिलाधिकारी मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट(सिविल लाईन) मेरठ।

संख्या।1700 / पेशकार– 2020 दिनांक 06–06–2020.

अपर जिलाधिकारी(नगर)
मेरठ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वेस्टर्न कचहरी रोड बेगम बाग स्थित असोढा हाउस हाट स्पाट घोषित किया गया है। इसके सन्निकट स्थित सिविल कोर्ट परिसर इस हाटस्पाट के कण्टेनमेण्ट जोन की सीमा के अर्न्तगत आता है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

06.06.20

अपर नगर मजिस्ट्रेट(सि0ला0)
मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या: 1556 /ओ0एस0डी0-कैम्प/2020 दिनांक 05-06-2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30-5-2020 के कम में निर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 द्वारा पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिये गये हैं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 1539/ओ0एस0डी0 -कैम्प/2020 दिनांक 2-6-2020 द्वारा, दिनांक 8-6-2020 तक, जनपद मेरठ के सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र (वार्ड संख्या 6,10, 28 एवं 31 को छोडकर) एवं कैन्ट वोर्ड क्षेत्र में पूर्ववत् Complete Lock Down की स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए गए थे तथा Containment Zone के बाहर दिनांक 09-06-2020 से वर्णित गतिविधियों को कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी थी। साथ ही उपरोक्त आदेश में Containment Zone का निर्धारण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा चिकित्सा विभाग से परामर्श प्राप्त करके किए जाने के आदेश दिए गए थे।

अतः जनहित में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, मजिस्ट्रेट/पुलिस विभाग तथा चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित **Containment Zone** एवं **Buffar Zone** (सूची संलग्न) के बाहर, अब दिनांक 6-6-2020 से, चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को "इन्सीडेन्ट कमाण्डर" के रूप में पहले से ही नामित किया गया है जिनके द्वारा अनुमन्य गतिविधियों को **Containment Zone** एवं **Buffar Zone** के बाहर समयबद्ध लागू करने के लिए पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। हॉट स्पॉट/कन्टेनमेन्ट/बफर जोन में केवल दवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही की जा सकेगी। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सम्मिलित **Containment Zone** एवं **Buffar Zone** के क्षेत्र की साप्ताहिक रूप से प्रत्येक रविवार को समीक्षा की जायेगी तथा **Containment Zone** एवं **Buffar Zone** से बाहर आने वाले क्षेत्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिकारियों द्वारा जिन क्षेत्रों में सोशल डिस्टेन्स का उल्लंघन एवं अत्यधिक भीड-भाड का जुटना पाया जायेगा, जिसके कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो, उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुमोदित गतिविधियों के संचालन को बन्द करने पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

5/6 5/6/2020

(अजय साहनी) (अनिल ढींगरा)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

Scanned with CamScanner

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

2– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

4– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

5– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

6– प्रभारी एकीकृत नियंत्रण कक्ष, एन0आई0सी0, मेरठ।

7– पुलिस अधीक्षक–नगर/ग्रामीण, मेरठ।

8– नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।

9– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।

10– समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, मेरठ (द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ)

11– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का प्रकाशन/प्रसारण जनपद के दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनहित में निशुल्क, कराया जाना सुनिश्चित करें।

12– समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

5/6 5/6/2020

(अजय साहनी)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ

(अनिल ढींगरा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

Scanned with CamScanner